हरिसिंह बनाम राजस्थान सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | दावा मु.नं. 86/2025 | अहकाम के बारे में हुक्म की तामील में जारी हुए

15/1/2026

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 का पेश हुआ। वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 20/1/26 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

20/01/2026

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वादी वकील द्वारा प्रा.पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. पर बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 21/01/2026 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

21/01/2026

पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० वकील उभयपक्ष द्वारा प्रा.पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. पर की गयी बहस पर मनन किया। एवं प्रा.पत्र का अवलोकन किया। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रा.पत्र पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा उद्घोषणा दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल होकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

21/1/26

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संख्या :—86 / 2025
प्रकरण दायर दिनांकः— 15.05.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः—21.01.2026

उनवान

1. हरिसिंह गुर्जर पुत्र रामस्वरूप
2. जयसिंह पुत्र कजोड़मल
3. रामकिशोर पुत्र बीरबल

समस्त जाति गुर्जर निवासी रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा।
2 जर्ये अध्यक्ष एस.एम.सी. सियाराम पुत्र रामजीलाल निवासी रलावता तहसील बांदीकुई

दावा उद्घोषणा दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण दावा उद्घोषणा दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा जर्ये वकील श्री श्याम सुन्दर शर्मा के इस आशय से पेश किया कि ग्राम रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता सं. नया 278 पुराना 268 के खसरा नम्बर 578 रकबा 0.28 हैक्टे. खसरा नम्बर 579 रकबा 0.29 हैक्टे. खसरा नम्बर 580 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा नम्बर 763 रकबा 0.06 हैक्टे., खसरा नम्बर 764 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नं. 765 रकबा 0.34 हैक्टे., खसरा नं. 766 रकबा 0.35 हैक्टे., खसरा नं. 767 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नं. 768 रकबा 0.21 हैक्टे. कुल किता 9 कुल रकबा 1.76 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 279 पुराना 269 के खसरा नंबर 438 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 439 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 440 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 443 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर स्थित है जो कि वादीगण की कब्जे–काश्त की खातेदारी भूमि है। जिसके पास ही खसरा नंबर 518 रकबा 0.16 हैक्टेयर खसरा नं. 519 रकबा 0.13 हैक्टे, स्थित है। जिस पर वादीगण आज दिन तक अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त है। जिसे आगे भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। उक्त भूमि खसरा नं. 518 रकबा 0.16 हैक्टे. जिसकी किस्म बंजड़ एवं खसरा नं. 519 रकबा 0.13 हैक्टे. जिसकी किस्म बंजड़ जिसके पूर्व के साबिक खसरा नं. 20 व 21 रहे है। जिस पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से आज दिन तक काबिज–काश्त है। उक्त भूमि खसरा नं. 518 व 519 पूर्व में संवत 2003 से 2022 की खतौनी बन्दोबश्त में सिवायचक भूमि रही है जिसे बाद में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वर्तमान में चरागाह भूमि में दर्ज कर दिया गया। जिसका कानूनन सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं या जबकि उक्त भूमि पर बगीची बनी हुई है एवं उक्त भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है जो कि खसरा परिवर्तनशील संवत 2047, 2042, 2044, 2035, 2027, 2049, 2029, 2030, 2039, 2043, 2042, 2041, 2051, 2031 से 2034, 2048 इस प्रकार उक्त भूमि पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही काबिज काश्त है लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी उक्त भूमि खसरा नं. 518 व 519 की जाँच किये उक्त

भूमि को सिवायचक से चारागाह में दिनांक 15.06.1973 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। जबकि कानूनन उक्त भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त है एवं उक्त भूमि का हासिल आज दिनांक तक जमा कराते आ रहे है। उक्त भूमि पर वादीगण ने बगीची व अपना रहवास बना रखा है एवं उक्त भूमि पर समय-समय पर काश्त करते आ रहे है इसलिये उक्त भूमि की किस्म पूर्व रिकॉर्ड संवत 2003 से 2022 के अनुसार सिवायचक किया जाना न्यायोचित एवं उक्त भूमि पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व काबिज-काश्त है एवं उक्त भूमि पर उप कृषक की हैसियत से काबिज काश्त है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार उक्त भूमि की उद्घोषणा, खातेदारी अपने नाम करवाने की अधिकारी है। दिनांक 23.03.2025 को प्रतिवादी सं. 01 जबरन वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 518 व 519 पर बने रहवास एवं बगीची को जबरन वहाँ से हटाकर उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने लगे। जब वादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से करीब 60-70 वर्षो से काबिज काश्त है तो प्रतिवादी ने कहा कि न्यायालय में जाकर दावा पेश करो नहीं तो तुमको उक्त भूमि से बेदखल करकें रहेगें। वादीगण ने जब प्रतिवादी से उक्त भूमि खसरा नं. 518 व 519 की उद्घोषणा, खातेदारी करवाने की कही तो प्रतिवादी साफ इन्कार हो गये और वादीगण से कहा कि हम उक्त भूमि मुतदाविया से तुमको व तुम्हारे परिवार को बेदखल करके रहेगें। अगर प्रतिवादी अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही हो सकेगी तथा पक्षकारान में गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरमियां फरीकेन चल पडेगें, जिससे बाय से बर्बादी होगी। ऐसी सूरत में वादीगण को वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। बिनाय यौम दावा व बिनाय मुखास्मत दिनांक 23.03.2025 को प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि मुतदाविया को दीगर व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी देने से व जबरन कब्जा करने की धमकी देने से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा उत्पन्न होने से तथा सकूनत भूमि मुतदाविया अन्दर हदूद न्यायालय हाजा के वाके होने से दावा हाजा के श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को हासिल है। दावा अन्दर मियाद पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद, वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे -ग्राम रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खसरा नम्बर 518 रकबा 0.16 हैक्टे., खसरा नम्बर 519 रकबा 0.13 हैक्टे. जिसके पूर्व के नंबर खसरा 20 व 21 स्थित है, में वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से उक्त भूमि पर उपकृषक की हैसियत से काबिज-काश्त होने से धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार उद्घोषणा, खातेदारी अपने नाम करवाने के अधिकारी है एवं उक्त भूमि खसरा नं. 518 व 519 जिसके पूर्व के खसरा नं. 20 व 21 को पूर्व रिकॉर्ड संवत 2003 से 2022 के अनुसार वर्तमान रिकॉर्ड चारागाह को हजफ किया जाकर पूर्व रिकॉर्ड के अनुसार सिवायचक की दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में करवाने के अधिकारी है। ग्राम रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खसरा नम्बर 518 रकबा 0.16 हैक्टे., खसरा नम्बर 519 रकबा 0.13 हैक्टे. जिसके पूर्व के नंबर खसरा नम्बर 20 व 21 स्थित है, पर से वादीगण को जब तक उक्त भूमि मुतदाविया की दुरूस्ती एवं उद्घोषणा खातेदारी वादीगण नही हो जाती तब तक वादीगण को उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने से व वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत पैदा करने से बाज व मुमतन्हा रहे एवं उक्त भूमि की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वादीगण को प्रतिवादी से खर्चा दिलवाया जावें। अन्य दादरसी जो करीने इन्साफन हो, वादीगण को अता फरमायी जावें।

[signature]

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। प्रार्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नायला की ढाणी रलावता जरिये अध्यक्ष एस. एम.सी. सियाराम गुर्जर पुत्र रामजीलाल निवासी रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा द्वारा जर्ये वकील श्री वीरेन्द्र कुशवाह के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. का पेश किया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा विधिवत सुनवाई कर दिनांक 07.01.2020 को स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि में हित निहित होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नायला की ढाणी रलावता जरिये अध्यक्ष एस.एम.सी. सियाराम गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल निवासी रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी का इस आशय से पेश किया उक्त उनवानी वादपत्र में भूमि मुतदाविया खसरा नंबर 518, 519 जो कि सरकारी भूमि है वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में किस्म चारागाह भूमि सरकारी दर्ज है। कानूनन सरकारी चारागाह की भूमि की खातेदारी की घोषणा वादीगण के हक में नहीं की जा सकती है। उक्त भूमि वादग्रस्त पर वादीगण कभी भी काबिज काश्त नही रहे। भूमि वादग्रस्त विद्यालय के खेलकूद मैदान के उपयोग उपभोग में अर्सा पूर्व से चला आ रहा है जिसे खेलकूद मैदान हेतु आवंटित किये जाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर सक्षम अधिकारी को भेजा जा चुका है वादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि है जो कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नायला की ढाणी रलावता का खेलकूद मैदान के उपयोग की भूमि है जो कि विद्यालय के कब्जे में चली आ रही है। भूमि वादग्रस्त वादपत्र में दर्ज अभिवचन व राजस्व रिकॉर्ड से सरकारी चारागाह भूमि होना दर्ज है वादपत्र में दर्ज उक्त अभिवचन से वादीगण के हक में कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है तथा सरकारी चारागाह की भूमि का निजि खातेदारी की घोषणा का वाद कानून नहीं लाया जा सकता । तथा वादपत्र में वांछित अनुतोष विधि विरूद्ध है इसलिये दावा वादीगण प्रथम स्तर पर खारिज होने योग्य है न्यायालय हाजा को प्रार्थना पत्र सुनवाई का श्रवणाधिकार व त्राधिकार प्राप्त है अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रा. पत्र वीकार फरमाकर दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज बाबत निवेदन किया। वादीगण कील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का जबाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे स करनी चाही। हमने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. पर वकील उभयपक्ष स सुनी। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। हमने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम जा.दी. एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। ीगण द्वारा वाद के संलग्न जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या नया 284 पुराना , जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या नया 278 पुराना 268, भू प्रबंध विभाग ान क्षेत्रफल संवत् 2052–2071 ग्राम रलावता तहसील बसवा जिला दौसा,खसरा वर्तित निर्धारण तथा गैरमुस्तकिल काश्त संवत् 2047 आधार वर्ष 1990, ,खसरा वर्तित निर्धारण तथा गैरमुस्तकिल काश्त संवत् 2044 आधार वर्ष 1987, जमाबंदी र्तनशील जमा निर्धारण के लिये ग्राम रलावता पटवार हल्का रलावता निरीक्षक हल्का याल कलां जिला जयपुर राजस्थान फसल श्यालु संवत् 2035 वर्ष 1979 आदि पेश । प्रतिवादी की ओर से एड.श्री वीरेन्द्र सिंह कुशवाह ने न्यायिक दृष्टांत पेश किया

tion 2017(1) DNJ(Raj.)1]- RAJASTHAN HIGH COURT [JAIPUR BENCH] 'BLE MR. JUSTICE JAINENDRA KUMAR RANKA [S.B Civil Revision Petition 8 of 2010; decided on 22.12.2016 Annant Pal Singh Rajput Vs. Sumer Rajput &Anr.

तथा वादी की ओर से एड. श्री श्याम सुन्दर शर्मा ने न्यायिक दृष्टांत पेश किया कि– 2013(2)RRT 1110 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER MR. MADAN MOHAN SHARMA: MAMBER – Hiralal Suthar & Anr. Vs. Kanhaiyalal Paliwal & Ors. Revision T.A. No. 1804/Udaipur of 2011 Decided on 15th March 2013

वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. व धारा 151 जा.दी. का जबाब पेश नहीं कर सीधे बहस की गयी। हमने प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 518 व 519 की किस्म चारागाह है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिये कि वाद किसी विधि से वर्जित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार चारागाह आदि प्रतिबंधित भूमियों पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। वादीगण को वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार सृजित नहीं होते है तथा सरकारी चारागाह की भूमि का निजि खातेदारी की घ्रोषणा का वाद कानूनन नहीं लाया जा सकता है तथा वादपत्र में वांछित अनुतोष विधि विरूद्ध है अतः वादीगण का वाद आदेश 07 नियम 11 जा.दी. व धारा 151 की परिसीमा में आता है। इसलिये वाद चलने योग्य नहीं है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, पत्रावली व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दावा उद्घोषणा दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को खुले न्यायालय में लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

21/01/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई